

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 23/2020

मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि० पूर्व में (मेन्टर इण्डिया लिमिटेड), प्रधान कार्यालय:- वी-9,
मेन्टर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर

.....प्रार्थी/सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्री फतेह लाल पुत्र श्री बद्री
- (2) श्रीमती मनभर देवी पत्नि श्री फतेह लाल
- (3) श्री बद्री माली पुत्र श्री प्रताप माली
- (4) श्रीमती रामू पत्नि श्री बद्री माली

निवासी: प्लॉट नम्बर 28, ग्राम व ग्राम पंचायत सांपला, पंचायत समिति अरांई,
जिला-अजमेर

- (5) श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रतन लाल शर्मा
निवासी:- प्लॉट नम्बर 218, कटला गली, सांपला, तहसील सरवाड,
जिला-अजमेर

.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वूराईटेशन रिकसट्क्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्वूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

सुरज शर्मा

- अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 07.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 04 को दिनांक 19.11.2016 को रु. 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर 1. ग्राम व ग्राम पंचायत सांपला, पंचायत समिति अरांई, जिला अजमेर स्थित अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 642.12 वर्गफीट, पट्टा संख्या 38 जो श्री बद्री माली पुत्र श्री प्रताप माली के नाम से है, 2., ग्राम सांपला, तहसील सरवाड, जिला अजमेर, के खसरा नं० 1189 में स्थित अचल सम्पत्ति क्षेत्रफल 774.4 वर्गगज, जो श्री फतेहलाल पुत्र श्री बद्रीलाल के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 10.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 02.09.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 8,93,014/- (अक्षरे आठ लाख तिरानवें हजार चौदह रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The



W. Sharma

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति 1. ग्राम व ग्राम पंचायत सांपला, पंचायत समिति अरांई, जिला अजमेर स्थित अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 642.12 वर्गफीट, पट्टा संख्या 38 जो श्री बद्री माली पुत्र श्री प्रताप माली के नाम से है, 2. ग्राम सांपला, तहसील सरवाड, जिला अजमेर, के खसरा नं0 1189 में स्थित अचल सम्पति क्षेत्रफल 774.4 वर्गगज, जो श्री फतेहलाल पुत्र श्री बद्रीलाल के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को सुनाया गया।



Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर